सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आश्विन 18, मंगलवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 10, 2023
Asvina 18, Tuesday , Saka 1945- October 10, 2023

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 09, 2023

संख्या प.10(1)नविवि/3/81 :-सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत सीकर (जिला सीकर) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2041 का प्रारूप तैयार कर आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम
1.	सीकर	2	ढाका की ढाणी
3	सबलपुरा	4	जगमालपुरा
5	भैरूपुरा	6	भादवासी
7	शिवसिंहपुरा	8	कटराथल
9	कुडली	10	दादली
11	हरदयालपुरा	12	समर्थपुरा
13	नानी	14	ढाणी नाथावतान
15	चन्दपुरा	16	ढाणी सालिमसिंह
17	बजाज नगर	18	देवीपुरा
19	खिचड़ों का बास	20	दुला की ढाणी
21	दासा की ढाणी	22	राधा किशनपुरा
23	रामू का बास	24	गोकुलपुरा
25	दुजोद	26	चैनपुरा
27	पालवास	28	कंवरपुरा
29	रामपुरा	30	संतोषपुरा
31	पुरा की ढ़ाणी	32	बालाजी भैरूजी नगर
33	घोराणा	34	नला का बालाजी

35	चारण का बास	36	देवलानाडा
37	आसपुरा	38	बलरामपुरा
39	भढ़ाढ़र	40	चैलासी
41	झीगर छोटी	42	किरडोली
43	शास्त्री नगर	44	झीगर बड़ी
45	बाजोर	46	देवगढ़
47	हीरामल नगर	48	मलकेड़ा
49	हर्ष	50	पीपल्यानगर

सीकर मास्टर प्लान के इस प्रारूप के संबंध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस में कोई भी व्यक्ति/संस्था अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राजस्थान, जयपुर-302004 अथवा कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर में प्रस्तुत कर सकते है। मास्टर प्लान के प्रारूप का दिनांक 09.10.2023 से 07.11.2023 तक उपरोक्त समयावधि में प्रदर्शनी स्थल कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर में अवलोकन किया जा सकता है। उपरोक्त अवधि में मास्टर प्लान के इस प्रारूप से संबंधित पुस्तिका मय मानचित्र कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर से क्रय किये जा सकते हैं एवं www.urban.rajasthan.gov.in/ctp से भी डाउनलोड किये जा सकते है।

रिंकू बंसल,
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व),
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।